



राजस्थान सरकार
राज्य स्वास्थ्य समिति (राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन)
राजस्थान, जयपुर

कमांक-एच-12 (2) एन.आर.एच.एम./आयुष/2008/3134

दिनांक: 22.09.06

अत्यावधि विज्ञापन

राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के अन्तर्गत एक छत के नीचे निम्न जिलों में आयुर्वेद/होम्योपैथी एवं यूनानी चिकित्सकों को रुपये 8,000/- फिक्स मानदेय पर पूर्ण रूप से आविगत अनुबंध के आधार पर दिनांक 31.03.2009 तक रखे जाने हेतु आवेदन पत्र आमंत्रित किये जाते हैं। यह चयन सम्बन्धित जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में गठित चयन समिति की अग्रिमता पर जिले के सम्बन्धित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के द्वारा किया जावेगा। जिलेवार स्वीकृत पदों का विवरण निम्नानुसार है :-

क्र. सं.	नाम जिला	स्वीकृत पदों का विवरण			योग
		आयु. चिकि.	होम्यो. चिकि.	यूनानी चिकि.	
1.	अजमेर	8	3	1	12
2.	अलवर	19	3	1	23
3.	बांसवाड़ा	2	3	1	6
4.	बारा	16	3	1	20
5.	बाड़मेर	17	3	1	21
6.	भरतपुर	19	3	1	23
7.	भीलवाड़ा	13	3	1	17
8.	बीकानेर	12	3	1	16
9.	बूंदी	1	3	1	5
10.	चित्तौड़गढ़	8	3	1	12
11.	चुरू	19	3	1	23
12.	दौसा	-	3	1	4
13.	धौलपुर	6	3	1	10
14.	झुंझर	8	3	1	12
15.	हनुमानगढ़	9	3	1	13
16.	गंगानगर	23	3	1	27
17.	जयपुर	12	3	1	16
18.	जैसलमेर	3	1	1	5
19.	जालौर	17	3	1	21
20.	झालावाड़	5	3	1	9
21.	झुनझूर	25	3	1	29
22.	जोधपुर	19	3	1	23
23.	करीली	5	3	1	9
24.	कोटा	13	3	1	17
25.	नागौर	15	3	1	19
26.	पाली	10	3	1	14
27.	राजसमन्द	7	3	1	11
28.	सवाई माधोपुर	-	3	1	4
29.	सीकर	35	3	1	39
30.	सिरोही	5	3	1	9
31.	टोंक	5	3	1	9
32.	उदयपुर	18	3	1	22
योग		374	94	32	500

पर अनुसूचित जाति को 16 प्रतिशत, अनुजनजाति को 12 प्रतिशत, अन्य पिछड़े वर्गों को 21 प्रतिशत नियमानुसार आरक्षण देय है। इन आरक्षित पदों से विकलांग को 3 प्रतिशत एवं भूतपूर्व सैनिक को 12.5 प्रतिशत वर्गवार (होरिजेन्टल) आरक्षण देय है।
3. नि:शक्तजन व्यक्तियों को (ए) अक्षमताओं की प्रकृति को इस प्रकार से अभिव्यक्त किया जाएगा- O.L. one leg affecter (R or L) (a) Impaired reach (b) weakness of grip (c) ataxic (d) Impaired reach (e) Impaired reach आरक्षित पदों का आरक्षण दृष्टवत् (Horizontal) रूप से है अर्थात् जिस वर्ग (अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जन जाति/अन्य पिछड़ी जाति/सामान्य वर्ग) का होगा, उसे उसी वर्ग के अंतर्गत सामायोजित किया जाएगा। (ग) आवेदन पत्र के यथा स्थान पर वर्ग विशेष "नि:शक्त व्यक्ति" (विकलांग) का उल्लेख करें तथा इस संबंध में निर्धारित प्रश्न पर चिकित्साधिकारी द्वारा प्रदत्त प्रमाण पत्र जिसमें चिन्हित श्रेणी का अवश्य उल्लेख किया गया हो, को सत्यापित फोटो प्रती भी अवश्य प्रस्तुत करें अन्यथा प्रार्थी को इसका लाभ दिया जाना संभव नहीं होगा। (घ) कार्मिक विभाग के परिपत्र आदेश संख्या प. 7 (2) कार्मिक/प-2/98/पार्ट- द्वितीय दिनांक-07.09.07 के अनुसार महिलाओं को 30 प्रतिशत आरक्षण वर्गवार दिया जावेगा। 5. महिलाओं को व्यक्तिगत अनुबंध में नियमानुसार 30 प्रतिशत आरक्षण में ही कार्मिक (क-2) 88 पार्ट-1 दिनांक-21.09.07 के अनुसार विधवा महिलाओं को 5 प्रतिशत आरक्षण वर्गवार देय है। महिलाओं को वर्गवार आरक्षण में वर्ग विशेष की महिला अर्थव्यथी उपलब्ध नहीं होने पर उसी वर्ग के पुरुष अर्थव्यथी द्वारा वरीयता के आधार पर भरा जावेगा। 6. दिनांक 01.06.2002 को या इसके पश्चात् तीसरी संतान होने पर नियुक्ति हेतु पात्र नहीं होगा। यदि किसी अर्थव्यथी के पुनर्निर्वासन से केवल एक बच्चा है, किन्तु किसी एक पश्चात्सर्जनी प्रसव से एक से अधिक बच्चे पैदा हो जाते हैं, तो वहां बच्चों की कुल संख्या की गणना करते समय इस प्रकार पैदा हुए बच्चों को एक इकाई समझा जाये। 7. अर्थव्यथी का चयन निर्धारित योग्यता में प्राप्तियों की वरीयता (मेरिट) के आधार पर किया जाएगा। 8. राज्य सरकार के परिपत्र क्रमांक प.6 (19) गृह-13/06 दिनांक 22.05.2008 के अनुसार इस परिपत्र के जारी होने की दिनांक से राजकीय सेवा में नियुक्ति हेतु विवाह पंजीयन करना अनिवार्य किया गया है। तदनुबंधी प्रमाण पत्र संलग्न करना होगा। 9. अर्थव्यथी की नियुक्ति पर कार्यग्रहण करने से पूर्व अपना स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना होगा। 10. जिन पुरुष/महिला अर्थव्यथी के एक से अधिक पति/पत्निका हैं तो वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। घोषणा पत्र संलग्न करें। 11. विज्ञापित आयुष चिकित्सकों के पद घटाने एवं बढ़ाये जाने का विभाग को पूर्ण अधिकार होगा। 12. जिन अर्थव्यथी ने अपने विवाह के समय दहेज लिया/दिया है वे इस नियुक्ति के पात्र नहीं होंगे। घोषणा पत्र संलग्न करें। 13. पदों एवं अनुबंध की अन्य शर्तों की जानकारी संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी से प्राप्त की जा सकती है।
इष्टुक अर्थव्यथी द्वारा अपने आवेदन पत्र में वांछित समस्त प्रमाण पत्रों की प्रमाणित छाया प्रतियों सहित जिले के संबंधित जिला स्वास्थ्य समिति, कार्यालय मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी, जिला (जिले का नाम) को दिनांक 15 अक्टूबर, 2008 तक सायंकाल 5:00 बजे तक रजिस्टर्ड डाक/कोरियर या व्यक्तिगत रूप से प्रस्तुत किए जा सकेंगे तथा बुलाए जाने पर इष्टुक अर्थव्यथी वांछित मूल दस्तावेज (अंक तालिकाएं एवं प्रमाण पत्रों) सहित संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी के कार्यालय में साक्षात्कार हेतु उपस्थित होंगे। अर्थव्यथी आवेदन पत्र के लिये एक पर "विज्ञापन संख्या एवं आयुष चिकित्सक पद हेतु आवेदन पत्र" स्पष्ट रूप से अंकित करें।
• चयनित अर्थव्यथी द्वारा 100/- रूपये के नौन ज्युडिशियल स्टाम्प पेपर पर व्यक्तिगत अनुबंध करना होगा • आयुष चिकित्सक हेतु व्यक्तिगत अनुबंध प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्र/सामुदायिक स्वास्थ्य केन्द्र/जिला चिकित्सालय विशेष के लिए ही किया जाएगा। एक बार अनुबंध के पश्चात् स्थानान्तरण नहीं होगा। • पूर्व में राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना के प्रथम चरण में अनुबंधित आयुष चिकित्सक इस विज्ञापन में चयन के पात्र नहीं होंगे तथा अर्थव्यथी को उक्त आधार का शपथ पत्र प्रस्तुत करना होगा कि उसके द्वारा पूर्व में आयुष चिकित्सक की सेवाएं दिए जाने हेतु राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन योजना अन्तर्गत कोई अनुबंध नहीं किया हुआ है। • आयुष चिकित्सक का अनुबंधित स्वास्थ्य केन्द्र मुख्यालय पर रहना अनिवार्य होगा। **मिशन विदेशक**, आवेदन पत्र का प्रारूप संलग्न है। **राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन, राज. जयपुर**

साक्षात्कार के समय उक्त चिकित्सकों के रिक्त पद घट अथवा बढ़ सकते हैं।

उपविधा आधार पर जमाने हेतु पात्रता एवं शर्तें :-

I. न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता :-
आयुर्वेद चिकित्सक:- Degree of Bshagacharya (University of Rajasthan) Ayurvedacharya, Bachelor of Ayurvedic Medicine and Surgery (University of Rajasthan) or Qualification recognized as equivalent thereto by the Government. (चिकित्सक का पंजीकरण बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर में अद्यतन नवीनीकृत हो।) इसके साथ साथ अपेक्षित इन्टरनैशियल आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
होम्यो. चिकित्सक:- Degree of Bachelor of Homoeopathic Medicine Surgery of Rajasthan Homoeopathy Medicine Board or Degree in Homoeopathy awarded by the University of Rajasthan or Till availability of degree holder, a diploma after 4 year's study awarded by the Rajasthan Homoeopathic Medicine Board, with not less than 3 years' experience as Homoeopathy/Homoeopathic Chikitsak in Dispensary run by the State or Central Government or Local Bodies in Rajasthan or Qualification recognized as equivalent thereto by the Government. (चिकित्सक का पंजीकरण होम्योपैथिक बोर्ड ऑफ राजस्थान जयपुर में अद्यतन नवीनीकृत हो।) इसके साथ साथ अपेक्षित इन्टरनैशियल आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।
यूनानी चिकित्सक:- Degree of B.U.M.S. (University of Rajasthan) or Degree of Bachelor of Unani Medicine & Surgery from Board of Indian Medicine Rajasthan or Qualification recognized as equivalent thereto by the Government. (चिकित्सक का पंजीकरण बोर्ड ऑफ इण्डियन मेडिसिन राजस्थान जयपुर में अद्यतन नवीनीकृत हो।) इसके साथ साथ अपेक्षित इन्टरनैशियल आवेदन की अंतिम तिथि तक पूर्ण होने का प्रमाण पत्र संलग्न करें।

II मानदेय :- रुपये 8,000/- प्रतिमाह फिक्स (अन्य कोई भत्ते देय नहीं)
III आयु :- (क) आयु सीमा : न्यूनतम 20 वर्ष एवं अधिकतम 45 वर्ष (आयु सीमा की गणना राज्य सरकार के नियमानुसार 01.01.2009 को आधार मानकर की जाएगी)। (ख) अधिकतम आयु सीमा में छूट: (1) आयुर्वेद/ होम्यो. यूनानी एवं प्राकृतिक सेवा नियम 1973 के नियमानुसार। अनु. जाति/जनजाति/अन्य पिछड़ी जाति के अर्थव्यथी के लिए अधिकतम आयु सीमा में 5 वर्ष की छूट देय होगी। (2) कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक प. 7 (2) कार्मिक/क-2/84/भाग-18 दिनांक 30.04.01 के अनुसार में राजस्थान के अ.जा. अ.ज.जा./अ.पि.जा. की महिलाओं को अधिकतम आयुसीमा में 5 वर्ष की छूट। (ग) भूतपूर्व सैनिक (Ex-Service) अर्थव्यथी के लिये अधिकतम आयु 50 वर्ष होगी। (घ) विधवा एवं परिव्रतता महिलाओं के लिए अधिकतम आयु सीमा नहीं है। (ङ), कार्मिक विभाग की अधिसूचना क्रमांक 22.09.2000 के अनुसार में सामान्य वर्ग के नि:शक्तजन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 10 वर्ष, अन्य पिछड़े वर्ग के नि:शक्तजन के लिए आयु सीमा में 13 वर्ष एवं अनुसूचित जाति एवं अनुसूचित जन जाति के नि:शक्तजन के लिए अधिकतम आयु सीमा में 15 वर्ष की छूट देय होगी।

1. चयनित अर्थव्यथी का व्यक्तिगत अनुबंध (INDIVIDUAL CONTRACT) दिनांक 31.03.2009 अथवा एन.आर.एच.एम. गतिविधियां जारी रहने तक जो भी पहले हो के लिए मान्य होगा। अगले वित्तीय वर्ष के लिए अनुबंध नवीनीकरण योग्य होगा। 2. उक्त पदों

आवेदन पत्र का प्रारूप

संविदा पर आयुर्वेद/होम्यो./यूनानी चिकित्सकों के पद के लिए आवेदन

1. आवेदक का नाम (स्पष्ट अक्षरों में) -
2. पिता/पति का नाम -
3. जन्म तिथि (अंक व शब्दों में) -
4. आयु- दिनांक:- 01.01.2009 को वर्ष..... माह..... दिन.....
(सैकण्डरी प्रमाण पत्र के आधार पर)
5. पत्र व्यवहार का पता -
6. स्थाई पता -
7. जाति वर्ग -
(जाति प्रमाण पत्र सक्षम अधिकारी द्वारा जारी किया हुआ हो, संलग्न करें)
वर्ग-अनुसूचित जाति/अनुजनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग/महिला/विधवा/नि:शक्तजन/भूतपूर्व सैनिक
8. वैवाहिक स्थिति - विवाहित/अविवाहित
9. दो सक्षम अधिकारियों द्वारा प्रदत्त चरित्र प्रमाण पत्र -
10. शैक्षणिक योग्यता - (मय प्रतिशत).....

पारापोर्ट
आकार का
नवीनताम
फोटो यथा
शुभकारे

क्र.सं.	अंक तालिका विवरण	पूर्णांक	प्राप्तांक	प्रतिशत	जांचकर्ता
1.	प्रथम वर्ष				
2.	द्वितीय वर्ष				
3.	तृतीय वर्ष				
4.	चतुर्थ वर्ष				
5.	पंचम वर्ष				
	योग -				

12. इन्टरनैशियल पूर्ण करने का दिनांक - (प्रमाण पत्र संलग्न करें).....
13. नियोजन कार्यालय का नाम व रजिस्ट्रेशन क्रमांक/दिनांक.....
14. दिनांक 01.06.2002 को एक से अधिक पश्चात् जोषित संतानों की संख्या -

हस्ताक्षर अर्थव्यथी हस्ताक्षर जांचकर्ता

घोषणा
मैं एतद् द्वारा घोषणा करता हूँ कि इस आवेदन पत्र में दिये गये सभी विवरण मेरी जानकारी व विश्वास के अनुसार सत्य व सही है एवं मैंने कोई तथ्य नहीं छिपाया है। मैं जानता हूँ कि किसी भी सूचना के असत्य व गलत पाये जाने पर किसी भी समय मेरा आवेदन/नियुक्ति रद्द की जा सकती है।
स्थान : आवेदक के हस्ताक्षर.....
दिनांक : नाम.....
पत्र व्यवहार का पूर्ण पता.....
(स्पष्ट शब्दों में पिनकोड सहित)
नोट: सभी प्रमाण पत्रों एवं अंकतालिकाओं की सत्यापित छायाप्रति संलग्न करना अनिवार्य है। आवेदक उपरोक्त प्रारूप को टाईप/कम्प्यूटराइज्ड कराकर काम में लेंगे।